भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1231

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

पुनर्वास केंद्र

1231. श्री भोजराज नाग:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में उन जिलों का ब्यौरा और संख्या क्या है जहां नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं और उनसे लाभान्वित युवा लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) नशीली दवाओं के आदी स्कूली बच्चों और नाबालिगों के पुनर्वास और नशीली दवाओं की लत के संबंध में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपनी योजनाओं में निजी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि को शामिल करती है और उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशे के आदी लोगों के लिए दो एकीकृत पुनर्वास केंद्र (दुर्ग और रायपुर जिलों में), एक समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन केंद्र (रायपुर जिले में) तथा तीन आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र (बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जिलों में) चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ से युवाओं सहित 50584 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीले पदार्थों के सेवन के मामले से निपटने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत स्कूली बच्चों और नाबालिगों के पुनर्वास और जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 15 अगस्त 2020 को देश के 272 जिलों में शुरू किया गया था। अगस्त 2023 से, एनएमबीए का विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है। एनएमबीए का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर जोर देते हुए आम जनता तक संपर्क बनाना और नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना, इस पर निर्भर लोगों से संपर्क करना और उनकी पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है। अब तक, एनएमबीए ने 4.12 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से 14.07 करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया है जिसमें 4.90 करोड़ युवा और 2.93 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।

ii. विभाग ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं के संबंध में शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। नवचेतना मॉड्यूल का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के बीच नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना और जीवन कौशल को बढ़ावा देना है।

iii. विभाग द्वारा 46 समुदाय आधारित संगति परक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों को सहायता दी जाती है। ये सीपीएलआई संवेदनशील और जोखिम वाले बच्चों और किशोरों पर फोकस करते हैं ताकि नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें जीवन कौशल सिखाया जा सके।

iv. नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 का संचालन किया जा रहा है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्रारंभिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(ग): एनएमबीए का कार्यान्वयन राज्यों/जिलों और राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के माध्यम से किया जाता है।

****